-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.11.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **जान से मारने की नीयत से व्यक्ति व उसके मित्र पर अवैध तंमचे से फायर करने वाले वांछित दो अभियुक्तों को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण तथा वांछित अभियुक्तों व अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में दिनांक 18/19.11.2026 को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा व्यक्ति व उसके मित्र को जान से मारने की नीयत से अवैध तंमचे से फायर करने वाले वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 03.11.2026 को थाना अतर्रा क्षेत्र के रहने वाले निखिल द्वारा सूचना दी गई कि राघव व उसके 04 अज्ञात साथियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर अवैध तंमचे से जान से मारने की नीयत से उस पर व उसके मित्र पर फायर कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही थाना अतर्रा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्त अतुल को दिनांक 18.11.2026 की रात्रि को थाना बदौसा से व अभियुक्त धीरेन्द्र उर्फ धीरू को आज दिनांक 19.11.2026 को मण्डी के पास थाना अतर्रा जनपद बांदा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वांछित मुख्य अभियुक्त राघव व अन्य 02 अज्ञात अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. धीरेन्द्र उर्फ धीरू पुत्र महेन्द्र निवासी पचनेही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. अतुल पुत्र नर्वदा निवासी तुर्रा थाना बदौसा जनपद बांदा।

फरार अभियुक्त-

1. राघव पुत्र बलराम निवासी तेन्दुरा थाना बिसंडा जनपद बांदा।
2. 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात।

पंजीकृत अभियाग-

- मु0अ0सं0- 381/26 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/352 बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. प्रा0नि0 अतर्रा श्री विनोद कुमार राय
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह
3. कां0 अजय प्रजापति
4. कां0 पंकज द्विवेदी
5. कां0 राहुल साहू